महत्वपूर्ण / ई मेल
संख्या–1554 / नौ–7–2022–27(ज) / 2014टी0सी0

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
(2)समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम, उ0प्र0।
(3)समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2022**

विषयः आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश के नगरीय निकायों में साफ–सफाई, शुद्ध पेयजल एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि आगामी दिनों में आने वाले पर्व / त्योहारों एवं संक्रामक रोगों के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ ही नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था, विसंक्रमण की कार्यवाही, जलनिकासी की समुचित व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों द्वारा दिशा निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

2. आगामी त्योहारों के दृष्टिगत नगरीय निकायों में पूर्व में निर्गत संगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में विशेष रूप से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है:–

(1). साफ–सफाई की व्यवस्था–

- शासनादेश संख्या–366 / नौ–7–22–27(ज) / 2014टी0सी0, दिनांक 04.04.2022 के क्रम में निकायों में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। निकाय में विशेष कार्य दल, जिसमें निकाय के अधिकारी / कर्मचारी कूड़ा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे व स्वयं की देख रेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ करायेंगे।
- पर्व / त्योहारों के मुख्य कार्यक्रम स्थलों पर साफ–सफाई एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
- खुली नाले / नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों / कचरों की सफाई सुनिश्चित की जाए।
- सफाई के दौरान एकत्र किये गये कूड़े को उसी समय सेनेट्री लैण्ड फिल साईट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाय। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जायेगा।
- जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करते हुये सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर नियमित रूप से दिन में एण्टीलार्वा स्प्रे का छिड़काव किया जाय तथा शाम के समय फॉगिंग करायी जाय।
- निकायों में सूक्ष्म कार्ययोजना बनाकर सोडियम हाईपोक्लोराईड घोल से सेनेटाईजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जाय। उक्त के अतिरिक्त निकायों में ब्लीचिंग पाउडर, मैलाथियान डस्ट, चूना इत्यादि का नियमित छिड़काव भी सुनिश्चित कराया जाय।
- जन सामान्य को वातावरणीय व व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने, शुद्ध पेयजल के उपयोग तथा ए0ई0एस0 / जे0ई0 एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संवेदित किया जाय, तथा उक्त हेतु विभिन्न प्रचार–प्रसार के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाय।

(2). शुद्ध पेयजल की व्यवस्था – संबंधित जल संस्थान व निकाय के अधिकारी पेयजल व्यवस्था से जुड़े नलकूप, हैण्डपम्पस्, पाइपलाइन्स व अन्य उपकरणों का संचालन इस तरह सुनिश्चित करेंगे कि पाइप पेयजल की आपूर्ति उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक समय तक सुचारू रूप से हो सके।

–2–

- User's End Point(उपभोक्ता द्वारा उपयोग प्वाईन्ट) पर जल के नमूने एकत्र कर उनका ओ0टी0 टेस्ट किया जाय, साथ ही इन नमूनों का वायरोलॉजिकल, बैक्टिरियोंलॉजिकल एवं केमिकल एनालिसिस भी किया जाए। यह गतिविधि नगरीय निकाय तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सम्पादित की जायेगी।
- जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है उन क्षेत्रों में प्रत्येक घर को क्लोरीन के टेबलेट उचित मात्रा में वितरित किये जाय।
- नगरीय क्षेत्र में सीवर लाईन तथा पानी की पाईप लाईन की सघन चैकिंग की जाय। यदि कही सीवर अथवा पानी की पाईप लाईन में ब्रेकेज अथवा लीकेज पायी जाती है, तो उसको तत्काल सही किया जाय। उक्त लीकेज के सही होने तक इलाके में यदि जलापूर्ति हेतु स्थापित पाईप लाईन सीवर लाईन के निकट से गुजरती हो तो सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- डब्ल्यू0टी0पी0 (Water Treatment Plants) पर जीवाणुरोधन हेतु क्लोरिनेशन की अतिरिक्त व्यवस्था की जाय तथा इन प्लान्ट्स से अवमुक्त अपशिष्ट जल को भी प्रवाहित करने से पूर्व हाइपर क्लोरिनेशन के माध्यम से सघन विसंक्रमण किया जाय।

(3). जल निकासी की समुचित व्यवस्था–

- जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जाय, उक्त हेतु आवश्यकतानुसार पम्पसेट आदि का प्रयोग किया जायेगा।
- जल भराव तथा वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिए सड़कों तथा पेवमेन्ट का निर्माण कराया जाय।
- सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियॉ नियमित रूप से हटाया जाय।

(4) सड़कों को गढ्ढामुक्त किया जाना

- नगरीय क्षेत्रों की सड़कों को आवश्यकतानुसार पैच वर्क रिन्यूवल करके समयबद्ध ढंग से गढ्ढामुक्त किया जाय।

भवदीय,
(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2–निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया नगरीय निकायों में उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से सतत् अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
25.09.2022
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।